

कार्यालय जिला पंचायत कटनी

परिशिष्ट 'अ'

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 315 के बिन्दु क्रमांक (क) की जानकारी

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	मार्ग का नाम	विवरण
1	सोमाकला	पहाडीखेड़ा से गाडा घाट मार्ग	वर्षा ऋतु में आवागमन में कठिनाई होती है। मार्ग सुधार योग्य है।
2	पथ. पिपरिया	पथ. पिपरिया से निपनियां पहुँच मार्ग	वर्षा ऋतु में आवागमन में कठिनाई होती है। मार्ग सुधार योग्य है।
3	जुझारी	निपनियां से किवलारी पहुँच मार्ग	वर्षा ऋतु में आवागमन में कठिनाई होती है। मार्ग सुधार योग्य है।
4	भखरवारा	भखरवारा से पौड़ी पहुँच मार्ग	वर्षा ऋतु में आवागमन में कठिनाई होती है। मार्ग सुधार योग्य है।
5	भखरवारा	भखरवारा से उदयपुरा पहुँच मार्ग	वर्षा ऋतु में आवागमन में कठिनाई होती है। मार्ग सुधार योग्य है।
6	किवलरहा	किवलरहा से पिपरिया तिराहा पहुँच मार्ग	वर्षा ऋतु में आवागमन में कठिनाई होती है। मार्ग सुधार योग्य है।
7	किवलरहा	किवलरहा से बसेहडी पहुँच मार्ग	वर्षा ऋतु में आवागमन में कठिनाई होती है। मार्ग सुधार योग्य है।
8	मोहनिया नीम	मुख्य मार्ग से मोहनिया टोला पहुँच मार्ग	वर्षा ऋतु में आवागमन में कठिनाई होती है। मार्ग सुधार योग्य है।
9	पटीराजा	छुरिया से बदैयाखेरा पहुँच मार्ग	वर्षा ऋतु में आवागमन में कठिनाई होती है। मार्ग सुधार योग्य है।
10	पटीराजा	मुख्य मार्ग से पटीराजा पहुँच मार्ग	वर्षा ऋतु में आवागमन में कठिनाई होती है। मार्ग सुधार योग्य है।
11	बाकल	ग्राम बाकल से पिपरिया पहुँच मार्ग	वर्षा ऋतु में आवागमन में कठिनाई होती है। मार्ग सुधार योग्य है।
12	सुपेली	सुपेली से सिजहरी पटी पहुँच मार्ग	वर्षा ऋतु में आवागमन में कठिनाई होती है। मार्ग सुधार योग्य है।
13	तिगवां	तिगवां से देवरी पहुँच मार्ग	वर्षा ऋतु में आवागमन में कठिनाई होती है। मार्ग सुधार योग्य है।
14	बहोरीबंद	बहोरीबंद से महगवां पहुँच मार्ग	वर्षा ऋतु में आवागमन में कठिनाई होती है। मार्ग सुधार योग्य है।
15	सुपेली	जमुनिया से सुपेली पहुँच मार्ग	वर्षा ऋतु में आवागमन में कठिनाई होती है। मार्ग सुधार योग्य है।
16	बचैया	बचैया से रोसरा सरहद पहुँच मार्ग	वर्षा ऋतु में आवागमन में कठिनाई होती है। मार्ग सुधार योग्य है।

जिला कार्यक्रम प्रबंधक
(आर.जी.एस.ए.)
जिला पंचायत कटनी

परियोजना अधिकारी
(मनरेगा)
जिला पंचायत कटनी



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

विकास भवन (चतुर्थ तल), जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. ४५५ /MGNREGS-MP/25

भोपाल, दिनांक २७/०५/२०२५

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा),
जिला - समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी नरेगा),
जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सुदूर संपर्क/खेत सड़क निर्माण के संबंध में।

संदर्भ:- 1.म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्र. 5191/दिनांक 19.11.2024

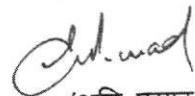
2.संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय का अर्द्धशासकीय पत्र क्र. J-11017/01/2025-RE-VII दिनांक 20 मई 2025

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक-1 द्वारा सुदूर संपर्क/खेत सड़क निर्माण हेतु निर्देश जारी किये गये थे, जिनमें प्रदेश की 27 जनपदों, जिनका कृषि मूलक कार्यों पर व्यय 45 प्रतिशत से अधिक एवं सामग्री व्यय अनुपात 40 प्रतिशत से कम था, तीन करोड़ रुपये की सीमा तथा शेष जनपदों को प्रति जनपद एक करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की गई थी। सुदूर संपर्क/खेत सड़क निर्माण हेतु यह व्यय सीमा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए थी।

संदर्भित पत्र क्रमांक-2 में भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्रामीण संयोजकता के कार्यों हेतु मार्गदर्शी दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिसके अनुक्रम में नवीन दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

अतः भारत सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी दिशा-निर्देशों के प्रकाश में नवीन दिशा-निर्देश जारी होने तक सुदूर संपर्क/खेत सड़क के नवीन कार्य नहीं लिये जाये।

संलग्न - उपरोक्तानुसार


(अवि प्रसाद)

आयुक्त

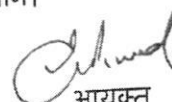
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

भोपाल, दिनांक २७/०५/२०२५

पृ.क्र. ४५५ /MGNREGS-MP/25

प्रतिलिपि:-

1. संभाग आयुक्त, समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास भवन, भोपाल।
3. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।


आयुक्त

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462011

पत्रांक 3190/NR-03/F-284/MGNREGS-MP/2023

आजादी का
अमृत महोत्सव

क्रमांक 3190/NR-03/F-284/MGNREGS-MP/2023

दिनांक 01/03/2023

प्रति,

कलेक्टर/ज़िला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अति. कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र.
ज़िला पंचायत - समस्त (म.प्र.)

विषय:- महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत वर्षा ऋतु में लिए जा सकने वाले कार्यों के संबंध में।

संदर्भ:- परिषद का पत्र क्र 9345/MGNREGS-MP/NR-3/SE-II/2012 दिनांक 03/10/2012

---00---

संदर्भित पत्र (संलग्न) के माध्यम से मनरेगा अंतर्गत अनुमत्य कार्यों एवं कार्य सम्पादन के संभावित सीज़न के मार्गदर्शीय निर्देश जारी किए गए थे। मनरेगा अंतर्गत अनुमत्य कार्य जैसे ट्रेंच, तालाब, डैम, कूप, भूमिसुधार सड़क आदि में मिट्टी के कार्य वर्षा ऋतु में नहीं करने के संबंध में मार्गदर्शित किया गया था, परंतु यह देखा जा रहा है कि जिलों द्वारा निरंतर इन कार्यों पर मस्टर जारी किए जा रहे हैं।

वर्तमान में लगभग 15000 सामुदायिक जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों पर 6 लाख से अधिक श्रमिक नियोजित हैं, इसी प्रकार 3300 से अधिक सड़क के कार्यों पर लगभग 85000 श्रमिक कार्यरत हैं।

इसी प्रकार ऐसे कार्य जो वर्षा ऋतु में किए जा सकते हैं की जानकारी निम्नानुसार है-

1 Constr of Aganwadi	12 Construction of Other Community Building/Assets
2 Constr of Food Grain storage	13 Goat Shelter
3 Constr of GP Bhawan	14 Construction of Village Haats
4 Constr of Cement Concrete Roads	15 Plantation
5 Constr of Compound wall	16 Grass Land Development
6 Constr of Kitchen Shed	17 Nursery Development
7 Piggery Shelter	18 Construction of Toilets
8 Poultry Shelter	19 Roof Water Harvesting on gov/panchayat bldg
9 Construction of building/workshed for SHG	20 Rural Housing
10 Cattle Shed	21 Community Sanitary Complex
11 Construction of Crematorium	22 Bio-gas plant

अतः पूर्व में जारी निर्देश अनुसार वर्षा ऋतु में (जुलै 2023 से सितंबर 2023 तक) मिट्टी के कार्यों पर कार्य न किया जाए, ताकि इन कार्यों की गुणवत्ता एवं इन कार्यों पर किए गए व्यय की सार्थकता सुनिश्चित की जा सके साथ ही रोजगार की मांग के आधार पर मस्टर जारी करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्षा ऋतु में किए जाने योग्य कार्यों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि समय पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

संलग्न : यथोपरि

(एस. कृष्ण चैतन्य)

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद,
भोपाल